....'आखिर' बंद 'करना' ही पड़ा अवैध 'इंडोर स्टेडिएम' का 'निर्माण'

इसे सांसद और प्रशासन की हार मानी जा रही, एसपी आवास के सामने हो रहे सांसद निधि से निर्माण का मामला

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...कम से कम सांसद और प्रशासन से यह तो उम्मीद की जा सकती है, कि उनके रहते कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकता। प्रशासन और सांसद सहित कार्यदाई संस्था को अच्छी तरह मालूम था, कि जिस जमीन पर पांच करोड़ से अधिक की लागत से एसपी आवास के सामने जो इंडोर स्टेडिएम का निर्माण हो रहा है, वह अवैध है।

यह भी मालूम था, कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है, वह सरकारी जमीन नहीं बल्कि बुद्धि प्रकाश शुक्ल सहित अन्य की है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अवैध निर्माण कराना यह साबित करता है, कि सत्ता जो चाहे वह कर सकती है। मीडिया की ओर से भी कई बार कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब इस जमीन पर इंडोर स्टेडिएम का निर्माण नहीं हो सकता, क्यों कि अब यह जमीन सरकार की नहीं रही। उसके बावजूद अगर निर्माण होता है, तो इसे हम और आप क्या समझे।

कहा भी जा रहा है, कि जिस प्रषासन की जिम्मेदारी अवैध निर्माण को रोकवाने की है, अगर वही आंख बंद कर लेगा तो फिर अवैध निर्माण को रोकवाएगा कौन? एसडीएम को लगा कि वह हाईकोर्ट के अवमानना के मामले में फंस जाएगें, तो उन्होंने आनन-फानन में पहले जमीन की पैमाईश करवाया, उसके बाद निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया। पैमाइश में इस बात का पता चला कि सरकारी जमीन तो मात्र के नाम हैं, और अवशेष बुद्धि प्रकाश शुक्ला सहित अन्य दर्जनों के नाम है। कुल 42 बीघा जमीन कभी सरकार के नाम रही, लेकिन अब यह अरबों की जमीन कब्जेदारों के नाम हो गई।

❖ एसडीएम ने जब यह देखा कि उन्हें तो हाईकोर्ट के अवमानना झेलना पड़ेगा तो डर के मारे उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निर्माण रोकवा दिया ❖ निर्माण रोकवाने से पहले बाकायदा एसडीएम ने पैमाईश करवा, हैंडपंप उखड़कर चला गया ❖ जब यह रिपोर्ट मिल गया कि जहां पर निर्माण हो रहा है, वह सरकारी जमीन नहीं बल्कि बुद्धि प्रकाश शुक्ल की है, तो निर्माण रोकने का आदेश दिया

गाटा संख्या 73 पर सांसद निधि से इडोर स्टेडिएम का अवैध निर्माण हो रहा था। निर्माण तो काफी पहले से हो रहा था, मगर जब स्व. शिवगोविंद के नाती बुद्धिप्रकाश शुक्ल ने अधिकारियों से इसकी शिकायत करते हुए यह कहा कि अगर निर्माण को नहीं रोकवाया गया, तो वह कोर्ट में अवमानना दाखिल करेगे। इसी के बाद से एसडीएम हरकत में आए और काम को कोर्ट के आदेश के तहत रोकवा दिया। कहा कि भविष्य में जब कभी कोर्ट के रुख में बदलाव आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब यहां पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल स्टेशन निवासी बुद्धी प्रकाश शुक्ल ने मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और कार्यदायी संस्था सुडकों को पत्र देकर पुलिस अधीक्षक आवास के सामने स्थित भूमि गाटा संख्या 73 से 96 लगभग 42 बीघा भूमि पर मंडलायुक्त और उप जिलाधिकारी सदर के आदेश को निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उक्त भूमि पर कोई निर्माण तब तक नहीं करा सकता जब तक इस मामले में कोई और निर्णय नहीं आ जाता। कहा है उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्था सिडको के माध्यम से इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है जो न्यायपालिका के आदेश के विरूद्ध है। कहा है कि यदि प्रशासन ने पुनः कार्य शुरू करवाया तो प्रकरण को न्यायालय के समक्ष ले जाया जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बता दें कि विधायक के दबाव में आकर तत्कालीन एसडीएम ने बिना सोचे समझे सालों पुराने खाते को बिना कोई नोटिस दिए एक ही झटके में खारिज कर दिया। जब कि एसडीएम को पुराने खाते को निरस्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी को संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने कमिष्नर और एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया। एक तरह से प्रषासन की हार हुई। उसके बाद भी इंडोर स्टेडिएम का निर्माण करवाए जाने लगा। किस तरह प्रशासन जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम कर रहा है, इसकी ज्वलंत उदाहरण इंडोर स्टेडिएम के रुप में देखा जा सकता है।

...'मोदी जी': पहले 'कालाधन' लाइए, फिर 'ईडी' के 'जब्त' पैसे की बात 'करिए'

देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो देशवासियों को झांसे पर झांसा दिए जा रहे

तेजयुग न्यूज

❖ पहले खाते में 15-15 लाख भेजने का झांसा दिया, फिर कालाधन वापस लाने का और अब ईडी के द्वारा जब्त पैसें को गरीबों में बाटने का झांसा दे रहें

❖ जनता इन्हें देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि झांसा देने वाला पीएम मान रही : चंद्रमणि पांडेय

बस्ती।...भ्रष्ट लोगों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को भले ही जनसमर्थन नहीं मिल रहा है, फिर भी यह अपने अभियान से पीछे नहीं हटे। हालांकि इस अभियान के चलते इन्हें अनेक कष्टों और कठिन दौर से गुजरना पड़ा और पड़ रहे हैं, लेकिन इनका सवाल आज भी उन नेताओं और अधिकारियों से हैं, जो देष को लूटकर जनता को बेवकूफ बना रहे है। यह जिले के लोगों का दुभार्ग्य हैं, कि 'चंद्रमणि पांडेय उर्फ सुदामा' वह स्थान नहीं मिला, जिसके यह हकदार रहे। वैसे भी जनता न जाने क्यों ऐसे लोगों को सदन में भेजना चाहती। इसके बावजूद भी यह सदन में जाने वालों से अधिक समाज सेवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे है। वरना कोई भी भिखारी, कार वालों की लड़ाई नहीं लड़ता।

एक बयान जारी कर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से पूछा है, कि आखिर कब तक आप देश की भोली-भाली जनता को झांसा देते रहेगें। पूछा कि क्या देश की जनता ने आप को इस लिए प्रधानमंत्री बनाया कि आप देशवासियों को बेवकूफ बनाए। 'सुदामा' ने पीएम के हाल के उस बयान को जनता को झांसा देने वाला बताया जिसमें इन्होंने ईडी के द्वारा जब्त रुपये को को गरीबों में बांटने को कहा। कहते हैं, कि पहले पीएम को उस वादे को पूरा करना चाहिए था, जिसमें इन्होंने गरीबों के खातों में 15-15 लाख भेजने की बात कही गई थी, भले ही चाहें देष के पीएम यह कहते हुए मुकर गए कि हमने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। फिर इन्होंने कालेधन को वापस लाने का झांसा दिया, वह आज तक नहीं लाए, जब कि कार्यकाल समाप्त होने को है। जनलोकपाल विधेयक लाने का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। लगता है, मानो मोदी जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना ही भूल गए, और अब मोदीजी देश के गरीबों को एक बार फिर लालीपाप देने का झांसा दे रहे है।

ईडी द्वारा जब्त पैसों को गरीबों में बांटे जाने के प्रधानमंत्री के बयान को मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए रिझाने वाला एक और झांसा बता रहे है। इसे चुनावी वादा बताते हुए समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने कहा कि भाजपा व देश के प्रधानमंत्री पहले जनता से पूर्व में किये गए वादे को पूरा करें उसके बाद ईडी द्वारा जप्त धन गरीबों में वितरित कराएं। कहा कि भाजपा ने अक्सर वही काम किये है जिनका उन्होंने पूर्व में विरोध किया चाहें, वह डंकल प्रस्ताव हो या आधार कार्ड अथवा मनरेगा। किन्तु अन्ना हजारे के जिस जनलोकपाल विधेयक को पारित करने का अप्रत्यक्ष समर्थन किया उसे भूल गई, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू करना भी भूल गई, कालाधन वितरित होना तो दूर अभी तक वापस आने के आसार ही नहीं दिख रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, डालर के सापेक्ष रूपया निरन्तर गिरावट पर है, रिश्वतखोरी व सरकारी योजनाओं में बंदरबांट चरम पर है। जिससे जनता में घोर निराशा है। श्री पाण्डेय ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री यदि सच में गरीबों के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो विभिन्न कम्पनियों द्वारा इलेक्ट्रोल बांड के जरिए मिले अकूत चंदे से ही कुछ धनराशि गरीबों में वितरित कर दें।

महिला की नृशंस हत्या शव बोरी में बंदकर फेंका, पास पड़े बैग से मिले आधार कार्ड से हुई शिनाख्त

हरदोई : हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र में परसापुर मुरौली कठेरियान मार्ग पर नवनिर्मित पानी की टंकी के पास एक महिला का शव बोरी में पड़ा मिला। विवाहिता का चेहरा और सिर कूंचकर बेहरहमी से हत्या की गई थी। मायके पक्ष के लोगों ने महिला के पति समेत चार ससुरालीजनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुरसा थाना क्षेत्र के कमरौली तुर्तीपुर निवासी ज्ञानेंद्र ने अपनी पुत्री सुनैना (21) का विवाह तीन साल पहले हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के मलौथा गांव निवासी आकाश तिवारी के साथ किया था। आकाश तिवारी दिल्ली में मजदूरी करता है। शनिवार सुबह लगभग आठ बजे सुनैना का शव हरे रंग की प्लास्टिक की बोरी में परसापुर मुरौली कठेरियान मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस को शव के पास ही एक बैग पड़ा मिला। इसमें कुछ कपड़े, शृंगार का सामान और आधार कार्ड था। आधार में दर्ज पते के जरिए परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया।

महिला के पिता ज्ञानेंद्र का आरोप है कि शादी के बाद से ही सुनैना का पति आकाश, जेठ निर्मल तिवारी व चचिया ससुर ब्रजेश कुमार और कमलेश दहेज में दो लाख रुपये और बाइक की मांग कर रहे थे। यह मांग पूरी न होने पर इन लोगों ने ही सुनैना की हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

162 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान : डीएम

तेजयुग न्यूज

बस्ती। लोकसभा चुनाव में कुल 162 मतदान केंद्र के अंतर्गत 226 मतदेय स्थल क्रिटिकल तथा 70 मतदेय स्थल बरनरेबुल चिन्हित हुए हैं। डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने इन सभी मतदेय स्थलों का भ्रमण करने, स्थानीय लोगों से बातचीत करने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए सभी उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों अधिकारी संयुक्त रूप से इन मतदेय स्थलों का भ्रमण करेंगे तथा संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजेंगे। दोनों अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के सभी मतदेय स्थलों का कम्युनिकेशन प्लान, रूट चार्ट का निरीक्षण कर ले तथा संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित क्रिटिकल एवं बरनरेबुल मतदेय स्थलों के अतिरिक्त यदि कोई और मतदेय स्थल इस श्रेणी में पाया जाता है, तो दोनों अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके संयुक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। मतदान के दिन 25 मई को इन सभी मतदेय स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी या इन स्थानों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। माइक्रो आब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे, जो मतदान प्रक्रिया की रिपोर्टिंग सीधे भारत सरकार द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर को करेंगे। 1089 मतदेय स्थलों की सीसीटीवी कैमरा लगाकर वेबकास्टिंग कराने की व्यवस्था की जा रही है, जिसे सीधे आयोग द्वारा अपने कार्यालय में देखा जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान की वेबकास्टिंग वाले मतदेय स्थलों की विशेष निगरानी करने की आवश्यकता होगी।

यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान के समय केवल एक पोलिंग एजेंट वहां मौजूद रहेंगे, वह किसी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे। प्रत्याशी द्वारा अपना पांडाल 200 मीटर के बाहर लगाया जाएगा। इस पांडाल से भी प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 105 मतदेय स्थलों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में भी दोनों अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे।

उन्होंने उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान में बाधक अराजक तत्वों के विरुद्ध 107/16 तथा 151 की कार्यवाही सुनिश्चित करें, गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर करने वाले अपराधियों की सूची तत्काल प्रेषित करें तथा आबकारी एक्ट की धारा 72 के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने समीक्षा में पाया कि लगभग 80 प्रतिशत शस्त्र लाइसेंस जमा हो गए हैं, फिर भी पैकोलिया में 88, कप्तानगंज में 82, सोनहा में 74 तथा वाल्टरगंज में 62 शस्त्र जमा करने के लिए अवशेष हैं। उन्होने बताया कि अबतक विभिन्न कारणों से कुल 94 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जा चुके है। उन्होंने निर्देश दिया है कि तीन दिन के भीतर यदि इन्हें जमा नहीं किया जाता है, तो इनके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

'प्रेमिका' से मिलने जाना 'सिपाही' को मंहगा 'पड़ा'

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...जहां पर दिल का मामला आ जाता है, वहां पर चाहें कोई सिपाही हो या फिर चाहें कोई अधिकारी, दिल के हाथों में मजबूर हो जाते हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि अगर पकड़े गए, तो उनका क्या होगा? गांव वाले उनका क्या हाल करेगें, अंजाम की परवाह किए बिना वह प्रेमिका से मिलने चला जाता है। जिले में इस तरह के आए दिन घटनाएं होती रहती है। बिंडबना यह है, कि दोषी दोनों होते हैं, मगर सजा सिर्फ प्रेमी को ही मिलती है। समाज भी उसे ही दोषी ठहराता है।

❖ गांव वालों ने रात्रि दस बजे कप्तानगंज थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौपा

❖ सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने आरक्षी को किया निलंबित

इसी तरह का एक मामला कप्तानगंज थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल का सामने आया। वह दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रात को लगभग 10 बजे लड़की से मिलने चला गया, ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया, हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने कप्तानगंज थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कप्तानगंज थाने पर तैनात सिपाही को बगैर किसी सूचना के दुबौलिया थाना क्षेत्र में पाए जाने के आरोप में उपरोक्त कार्यवाही की गई है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल श्याम सुन्दर काफी समय से एक लड़की से मिलने आया-जाया करता था, और अपनी आदत से मजबूर होकर शुक्रवार रात को भी उक्त पुलिसकर्मी ने गांव में कई चक्कर लगाया, तब ग्रामीणों को शक हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। कुछ समय पश्चात कुछ ग्रामीण मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस कर्मी के पीछे-पीछे गए तो पता चला कि वह गांव की एक लड़की से बातचीत कर रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मी से पूछा कि इतनी रात में कहां टहल रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तब पुलिस कर्मी ने कहा कि मैं टहल रहा हूं, मैं गाजीपुर का निवासी हूं,। कप्तानगंज थाने में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूं। तब ग्रामीणों ने कहा कि सादे कपड़े में लड़की के साथ क्या कर रहे हो? तब ग्रामीणों की भीड़ देख पुलिस कर्मी भयभीत हो गया और लड़की भी डर गई। लड़की, पुलिसकर्मी के बचाव में ग्रामीणों से अपील करने लगी। लड़की ने कहा कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग पुलिसकर्मी को छोड़ दीजिए। मामला तूल पकड़ते देख इसकी सूचना ग्रामीणों ने दुबौलिया पुलिस को दी। मौके पर दुबौलिया पुलिस पहुंच कर पुलिसकर्मी समेत कुछ ग्रामीणों को पकड़कर थाने में ले आई। दुबौलिया पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को थाने से छोड़ दिया है और कुछ ग्रामीणों को छोड़ने की तैयारी में है।

इस सम्बंध में थाना प्रभारी दुबौलिया ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। थाने पर बैठाए गए ग्रामीणों के परिजनों को बुलाया गया है। परिजनों के आने के बाद उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। किसी भी तरफ से कोई तहरीर नही मिला है। घटना की जांच क्षेत्राधिकारी रुधौली सतेंद्र भूषण तिवारी को दी गई है। क्षेत्राधिकारी सतेन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल

तेजयुग न्यूज

ऊंचाहार/रायबरेली : कोतवाली क्षेत्र के सवैया तिराहे के निकट शनिवार की सुबह कानपुर उन्नाव राजमार्ग पर कार ने स्कूटी सवार मनदीप कुमार 25 वर्ष निवासी किरवाहार को जोरदार टक्कर मार दी।घटना में युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया।

जिसके बाद कार चालक मौके से भाग निकला, राहगीरों की मदद से उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है,वहीं घायल युवक के परिजनों ने कोतवाली में अज्ञात कार चालक के विरुद्ध तहरीर दी है। सीएचसी अधीक्षक डॉ मनोज शुक्ल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल युवक को सीएचसी लाया गया था, जिसका उपचार किया गया है। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, कार की तलाश की जा रही है।

'करोड़ों' न देना 'पड़े', इसलिए 'चले' गए 'हाईकोर्ट'

जिले के 97 बी-पैक्स के सचिवों ने दी शासन और विभाग को चुनौती

❖ आरकेवीआई का करोड़ों रुपया जिला सहकारी बैंक को न देना पड़े इस लिए स्टे लेने चले गए

❖ क्या 97 समिति के सचिवों का खामियाजा प्रदेश के लाख से अधिक किसानों को भुगतना पड़ेगा

❖ कोर्ट में जाने के पीठे सचिवों की मंशा करोड़ों रुपये के भुगतान को लटकाए रखना

❖ अगर कोर्ट से स्टे नहीं भी मिला तो भी कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर भुगतान लटकाए रखने की मंशा

❖ सरकार और विभाग के खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए अधिकारियों का सपोर्ट रहा

तेजयुग न्यूज

बस्ती।....बी-पैक्स के 15 सहकारी समितियों के सचिवों का हाईकोर्ट करने के रुख के पीछे की मंशा अब तो स्पष्ट हो गई है। कोर्ट में जाकर एक तरह से इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि 95 फीसद सचिवों ने आरकेवीआई का करोड़ों रुपया इधर से उधर कर दिया। अगर, नहीं किए होते तो इनके खातें में दो-चार हजार नहीं बल्कि पांच लाख होते।

जिला सहकारी बैंक को पैसा वापस न करना पड़े इसके लिए इन्होंने कोर्ट में जाने का निर्णय लिया, जबकि देखा जाए तो इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि यह कोर्ट में जाए, न तो इनका कोई शोषण हो रहा है, और न ही उत्पीड़न, इनसे से वह पैसा मांगा जा रहा है, जो यह सालों से दबाए बैठे है। एक साजिश के तहत और अधिकारियों के षह पर यह लोग कोर्ट में गए, ताकि इन्हें करोड़ों रुपया वापस न करना पड़े। यह लोग यह सोचकर कोर्ट नहीं गए हैं, कि इन्हें कोई राहत मिल जाएगा, कोर्ट में यह सोचकर गए हैं, कि अगर स्टे नहीं भी मिला तब भी कोई बात नहीं, इन लोगों की मंषा पेंडिगं करने की है। अधिकारी भी यही चाहते हैं, कि कोर्ट में मामला लंबित होने का कारण बताकर वसूली की कार्रवाई को स्थगित रखना। एक तरह से इन्होंने सरकार और विभाग को खुली चुनौती है। यह वही लोग हैं, जिनपर कभी फर्जी धान/गेहूं खरीद करने आरोप तो कभी सीएमआर का घपला करने का आरोप लगता रहा है। चूंकि इन लोगों का सपोर्ट डीआर, एआर और पीसीएफ के डीएस का हमेषा से रहा है, इस लिए यह लोग अब तक कार्रवाई से बचते रहे है। जिला सहकारी बैंक को पैसा वापस न करने के पीछे इन्होंने कोर्ट में यह दलील दी है, कि बैंक दिवालिया के कगार पर हैं, बैक अपने ही उपभोक्ताओं का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इस लिए इस बैक में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है।

अगर, कोई इनसे यह पूछे कि आरकेवीआई के करोड़ों रुपये से इन्होने समिति को कितना लाभ कमाकर दिया तो एक भी सचिव इसका जबाव नहीं दे पाएगें। सवाल यह भी उठ रहा है, कि यह याचिका बस्ती से ही क्यों दाखिल की गई, क्यों नहीं 16 जिलों के समितियों के सचिव कोर्ट गए। अगर कहीं स्टे मिल गया तो 16 जिलों के एक लाख से अधिक किसान प्रभावित होगें। सबसे बड़ा सवाल क्या 97 सचिवों के चलते ढ़ाई हजार समिति की बलि चढ़ाई जा सकती हैं। इससे अहम बात यह है, कि रजिस्टार के उस फरमान का क्या होगा, जिसमें उन्होंने सभी जिला सहकारी बैंकों को समितियों को खाद का कारोबार करने के लिए प्रत्येक समिति को दस-दस लाख की सीमा का ऋण देने का आदेष जारी किया। अगर सचिव कोर्ट गए है, तो इसके लिए डीआर, एआर और पीसीएफ के डीएस को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। पीसीएफ के एमडी भी सभी डीएस को आरकेवीवाई का पैसा जिला सहकारी बैंकों में टासंफर करने के लिए लिख चुके हैं।

याचिका उ.प्र. संयुक्त सहकारी सहमिति कर्मचारी संघ के सचिव रामसरन सजनाखोर, दिनेष कुमार उपाध्याय बसडीला, अयोध्या प्रसाद पांडेय महराजगंज, विजयभान पांडेय कप्तानगंज, प्रदीप कुमार चित्राखोर गंगौरी, अष्वनी पांडेय गन्धरियागंज, सुजीत कुमार पिपराजषी, विजय आंनद पांडेय बाजार, जितेंद्र कुमार खोरिया बसौरी, रामप्रकाष पकरीचंदा, अनिल कुमार चैधरी देवरिया माफी, प्रभात कुमार भानपुर, विचित्र मणि वर्मा कलवारी, चंद्रशेखर भिरियारितुराज एवं कुलदीप कुमार शुक्ल मेहसिन का नाम शामिल है।

यूपी का मौसम

मार्च में ही सूरज ने उगली आग, प्रयागराज में पारा 40 पार, 24 डिग्री के ऊपर गया न्यूनतम तापमान

हरदोई : मार्च के मौसम में मई का एहसास हो रहा है। प्रदेश में अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई है। गर्मी की तल्खी से शनिवार को भी लोगों को राहत नहीं मिली। तीखी धूप के बीच प्रयागराज में अधिकतम पारा 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी और आगरा में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार जाकर क्रमशः 40.3 और 40.4 डिग्री दर्ज हुआ। इस बीच पारा पूरे प्रदेश में सामान्य से अधिक बना हुआ है और लोग चढ़ती गर्मी से अभी से परेशान होने लगे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में लखीमपुर खीरी में रात सबसे गर्म रही। यहां पर न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। 29 मार्च की अपेक्षा इसमें तीन डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फतेहगढ़ में न्यूतम तापमान 24 डिग्री पर स्थिर रहा, जबकि प्रयागराज व हरदोई में यह 24 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, रविवार को मौसम शुष्क रहेगा। 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इससे आने वाले दो-तीन दिन कुछ राहत मिलेगी और पारे में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।